न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दौसा

पीठासीन अधिकारीः	संजय कुमार गोरा आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः	142/2018
दायर दिनांकः	13.06.2018
निर्णय दिनांकः	26.07.2022

उनवान

1.सीताराम (फोत)

1/1– जगदीश पुत्र सीताराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैरावास तहसील व जिला दौसा।
1/2– मूलचन्द पुत्र सीताराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैरावास तहसील व जिला दौसा।
1/3– चौथमल पुत्र सीताराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैरावास तहसील व जिला दौसा।
1/4– बजरंग पुत्र सीताराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैरावास तहसील व जिला दौसा।
1/5– रामप्रसाद पुत्र सीताराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैरावास तहसील व जिला दौसा।
1/6– हंसराज पुत्र सीताराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैरावास तहसील व जिला दौसा।
1/7– नाथी देवी पत्नि सीताराम जाति रैगर निवासी ग्राम बैरावास तह0 व जिला दौसा।

वादीगण

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, दौसा।
2. खैराती पुत्र गोरधन जाति रैगर निवासी बैरावास तहसील दौसा।
3. चिरंजी पुत्र गोरधन जाति रैगर निवासी बैरावास तहसील दौसा।
4. मोता पत्नि गोरधन जाति रैगर निवासी बैरावास तहसील दौसा।
5. एस.बी.बी.जे. (एस.बी.आई.) शाखा दौसा जरिए मैनेजर।

प्रतिवादीगण

दावा उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड

वादी ने वाद बाबत उद्घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड प्रस्तुत किया है जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी ग्राम [illegible] तहसील, दौसा में आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 0.14 है0, खसरा नम्बर 150 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 रकबा 0.70 है0 स्थित है। जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकार्ड में गोरधन पुत्र बिरधा हिस्सा 1/2, छीतर पुत्र बिरधा हिस्सा 1/2 दर्ज है। गोरधन पुत्र बिरदा का स्वर्गवास हो चुका है। उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:43:19 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....2....

उप खण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

भूमि के साबिक खसरा नम्बर 11 मिन थे, तथा सम्वत् 2018 में गोरधन, छीतर पि0 बिरदा दर्ज थी तथा खतौनी सम्वत् 2005 में उक्त आराजीयात के नम्बर 372/5, 387/1, 388, 389 थे जिसकी खातेदारी बिरदा पुत्र बाल्या रैगर के नाम दर्ज थी। वादी का वास्तविक नाम सीताराम है तथा बिरदा के छीतर नाम का कोई लड़का नहीं है। परन्तु एकीकरण विभाग ने वादी का नाम अवैध तरीके से सीताराम की जगह छीतर अंकित कर दिया तथा अन्य दस्तावेज में वादी का नाम सीताराम दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 02 लगायात 04 विवादित भूमि के सह–खातेदार हैं तथा विवादित भूमि प्रतिवादी नम्बर 05 के यहाँ रहन होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाया गया है। उनके खिलाफ कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है कि निम्न अनुतोष प्रदान करें:–

1. उद्घोषणा की डिक्री इस आशय की पारित की जावे कि ग्राम बैरावास में स्थित भूमि खसरा नम्बर 149 लगायत 153 व खसरा नम्बर 155 कुल रकबा 0.70 है0 का वादी को हिस्से 1/2 का खातेदार घोषित किया जावें।
2. डिक्री दुरस्ती इन्द्राज राजस्व रिकार्ड इस आशय की पारित की जावे कि वाद पत्र के चरण नम्बर 02 में आराजीयात वाके ग्राम बैरावास के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम छीतर पुत्र बिरदा हो रहा है उसे लोपित किया जाकर उसके स्थान पर सीताराम पुत्र बिरदा दर्ज की जाकर दुरस्ती की जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादी संख्या 2 लगायात 4 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि वादी के पिता एवं हमारा दादा बरदू था। इसके दो सन्तान गोरधन एवं सीताराम ही थे। इनके अलावा कोई और सन्तान नहीं थी। एकीकरण विभाग ने सहवन व भूलवश वादी का नाम सीताराम के स्थान पर छीतर अंकित कर दिया जो गलत है। छीतर के स्थान पर सीताराम अंकित किया जावे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उप तहसीलदार भाण्डारेज ने रिपोर्ट पेश कर अवगत कराया है कि सरपंच ग्राम पंचायत बाणे का बरखेडा एवं पटवारी ह... का बरखेडा द्वारा प्रस्तुत जॉच मौका अनुसार राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम ... के नाम की जो प्रविष्टि अंकित है वह सीताराम पुत्र बिरदा ... एक ही व्यक्ति के है। वादी का आधार कार्ड नम्बर 839808484681 सीताराम रैगर पुत्र बिरदुराम रैगर निवासी बडी बैरावास एवं भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी पहचान पत्र संख्याः आरजे/07/050/030528 इसी नाम से बना हुआ है। अतः वादी का नाम राजस्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.08.01 12:43:19 IST
Reason: SelfAttested

लगातार....3....

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)

(3)

रिकार्ड में छीतर पुत्र बिरदा के स्थान पर दस्तावेज अनुसार सीताराम पुत्र बिरदा किया जाना उचित है। वादी संख्या 1/4– बजरंग पुत्र सीताराम एवं प्रतिवादी संख्या 2 खैराती पुत्र गोरधन की ओर से अलग–अलग शपथ–पत्र पेश कर निवेदन किया है कि एकीकरण/सैटलमेंट विभाग ने सहवन व भूलवश वादी का नाम सीताराम के स्थान पर छीतर अंकित कर दिया जो गलत है। अतः छीतर पुत्र बिरदा के स्थान पर सीताराम पुत्र बिरदा अंकित किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वादी की ओर से दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व रिकार्ड में छीतर पुत्र बिरदा के स्थान पर सीताराम पुत्र बिरदा करने का अनुरोध किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से इसमें कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया। वादी की ओर से राजस्व रिकार्ड में छीतर पुत्र बिरदा के स्थान पर सीताराम पुत्र बिरदा करने का अनुरोध किया गया है। जिसके लिए प्रतिवादी संख्या 02 लगायत 04 की ओर से कोई आपत्ति नहीं होना अवगत कराया गया है। उप तहसीलदार भाण्डारेज ने अपनी रिपोर्ट में इसे उचित माना है। अतः प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 04 (सह–खातेदार) की सहमति एवं उप तहसीलदार भाण्डारेज की रिपोर्ट के आधार पर वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर इस आशय की डिक्री किया जाता है कि ग्राम बैरावास में स्थित आराजी खसरा नम्बर 149 रकबा 0.14 है0 खसरा नम्बर 150 रकबा 0.12 है0, खसरा नम्बर 151 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 152 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 153 रकबा 0.08 है0, खसरा नम्बर 155 रकबा 0.20 है0 कुल किता 6 रकबा 0.70 है0 में अंकित छीतर पुत्र बिरदा के स्थान पर सीताराम पुत्र बिरदा अंकित किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करेंगे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया व मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar Gora
Date: 2023.03.01 12:43:19 IST
Reason: SelfAttested

(संजय कुमार गोरा)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज.)